

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 4/आ0-1-105/2026 158 (मा0)

/पटना, दिनांक :- 10/08/2026

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता (यथा विवरणी संलग्न),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार।

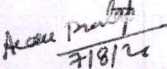
विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग संख्या-36 के मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष-0001- ग्रामीण जलापूर्ति योजना, विपत्र कोड-36- 2215011020001 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन में ₹1,61,82,649/- (एक करोड़ एकसठ लाख बेरासी हजार छः सौ उनचास रुपये) मात्र, 01-03 जीवन यापन भत्ता में ₹1,06,47,276/- (एक करोड़ छः लाख सैंतालीस हजार दो सौ छिहत्तर रुपये) मात्र, 01-04 मकान किराया भत्ता में ₹19,66,116/- (उन्नीस लाख छियासठ हजार एक सौ सोलह रुपये) मात्र, 01-05 परिवहन में ₹11,03,901/- (ग्यारह लाख तीन हजार नौ सौ एक रुपये) मात्र एवं 01-06 चिकित्सा भत्ता में ₹3,48,000/- (तीन लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹3,02,47,942/- (तीन करोड़ दो लाख सैंतालीस हजार नौ सौ बयालीस रुपये) मात्र एवं मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम- उपशीर्ष-0002- हस्तचालित ट्यूबवेल्स, तालाब एवं कुएं उच्च प्रवाही नलकूप, विपत्र कोड-36- 2215011020002 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन में ₹80,88,970/- (अस्सी लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र, 01-03 जीवन यापन भत्ता में ₹53,22,089/- (तिरपन लाख बाईस हजार नवासी रुपये) मात्र, 01-04 मकान किराया भत्ता में ₹9,82,772/- (नौ लाख बेरासी हजार सात सौ बहत्तर रुपये) मात्र, 01-05 परिवहन में ₹5,51,739/- (पांच लाख इक्यावन हजार सात सौ उनचालीस रुपये) मात्र एवं 01-06 चिकित्सा भत्ता में ₹1,74,000/- (एक लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹1,51,19,570/- (एक करोड़ इक्यावन लाख उन्नीस हजार पांच सौ सत्तर रुपये) मात्र का आवंटन।

- आदेश:- आवंटन विवरणी के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कॉलम-3 में अंकित कार्यालयों को, विपत्र कोड-36- 2215011020001 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन में ₹1,61,82,649/- (एक करोड़ एकसठ लाख बेरासी हजार छः सौ उनचास रुपये) मात्र, 01-03 जीवन यापन भत्ता में ₹1,06,47,276/- (एक करोड़ छः लाख सैंतालीस हजार दो सौ छिहत्तर रुपये) मात्र, 01-04 मकान किराया भत्ता में ₹19,66,116/- (उन्नीस लाख छियासठ हजार एक सौ सोलह रुपये) मात्र, 01-05 परिवहन में ₹11,03,901/- (ग्यारह लाख तीन हजार नौ सौ एक रुपये) मात्र एवं 01-06 चिकित्सा भत्ता में ₹3,48,000/- (तीन लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹3,02,47,942/- (तीन करोड़ दो लाख सैंतालीस हजार नौ सौ बयालीस रुपये) मात्र एवं विपत्र कोड-36- 2215011020002 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन में ₹80,88,970/- (अस्सी लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ सत्तर रुपये) मात्र, 01-03 जीवन यापन भत्ता में ₹53,22,089/- (तिरपन लाख बाईस हजार नवासी रुपये) मात्र, 01-04 मकान किराया भत्ता में ₹9,82,772/- (नौ लाख बेरासी हजार सात सौ बहत्तर रुपये) मात्र, 01-05 परिवहन में ₹5,51,739/- (पांच लाख इक्यावन हजार सात सौ उनचालीस रुपये) मात्र एवं 01-06 चिकित्सा भत्ता में ₹1,74,000/- (एक लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹1,51,19,570/- (एक करोड़ इक्यावन लाख उन्नीस हजार पांच सौ सत्तर रुपये) मात्र का निधि आवंटन किया जाता है।
- यह व्यय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आय-व्यय 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जाएगा।
 - यह व्यय माँग संख्या-36 के मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष-0001-ग्रामीण जलापूर्ति योजना, विपत्र

कोड-36- 2215011020001 एवं मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष-01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-उपशीर्ष-0002- हस्तचालित ट्यूबवेल्स, तांबा एवं कुएं उच्च प्रवाही नलकूप, विपत्र कोड-36- 2215011020002 के वेतनादि अंतर्गत विभिन्न मदों यथा- 01-01 वेतन, 01-03 जीवन यापन भत्ता, 01-04 मकान किराया भत्ता, 01-05 परिवहन तथा 01-06 चिकित्सा भत्ता मद के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-314/वि0, दिनांक-01.04.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जाएगा।
6. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि में से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यापन दिनांक-15.02.2027 तक निश्चित रूप से कर दिया जाए।
8. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

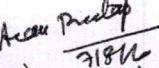
अनुलग्नक:- यथोक्त।

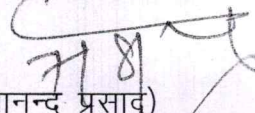

(आलोक प्रताप)
बजट पदाधिकारी


(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक :-4/आ0-1-105/2026 158 (मा0) /पटना, दिनांक :- 10/08/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय) कोषांग/बजट पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।


(आलोक प्रताप)
बजट पदाधिकारी


(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

(वित्तीय वर्ष 2026-27)

क्र.सं.	भाग संख्या/विपत्र कोड	कार्यालय का नाम	कार्यरत कर्म/पदाधिकारी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त अधिाचनालोक में बकाया वेतनादित/अंतर राशि भुगतान हेतु वर्तमान आवंटित राशि					अभ्युक्ति
			(01.01) वेतन	(01.03) जीवन यापन भत्ता	(01.04) मकान किराया भत्ता	(01.06) परिवहन	(01.06) चिकित्सा भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		प्रम0, मधेपुरा	59,02,490.00	38,83,508.00	7,17,125.00	4,02,569.00	1,27,000.00	1,10,32,692.00
2		प्रम0, अररिया	41,68,378.00	27,42,559.00	5,06,438.00	2,83,985.00	90,000.00	77,91,360.00
3	36-2215011020001	प्रम0, मोतीपुर	35,05,678.00	23,06,540.00	4,25,924.00	2,39,528.00	75,000.00	65,52,670.00
4		प्रम0, फारबिसगंज	26,06,103.00	17,14,669.00	3,16,629.00	1,77,819.00	56,000.00	48,71,220.00
		कुल	₹ 1,61,82,649.00	₹ 1,06,47,276.00	₹ 19,66,116.00	₹ 11,03,901.00	₹ 3,48,000.00	₹ 3,02,47,942.00
1	36-2215011020002	प्रम0 औरंगाबाद	80,88,970.00	53,22,089.00	9,82,772.00	5,51,739.00	1,74,000.00	1,51,19,570.00
		कुल	₹ 80,88,970.00	₹ 53,22,089.00	₹ 9,82,772.00	₹ 5,51,739.00	₹ 1,74,000.00	₹ 1,51,19,570.00

आम प्रसाद
21/8/26
(आलोक प्रताप)
बजट पदाधिकारी

नित्यानन्द प्रसाद
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)